राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

कार्तिक 17, शुक्रवार, *शाके* 1941–नवम्बर 8, 2019
Kartika 17 Friday, Saka 1941–November 8, 2019

भाग-6(क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 16, 2019

सं. एफ.8(ग)( )नियम/डीएलबी/19/33841–34298 :– राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 8(ग)( )(नियम)डीएलबी/19/33841–34298 दिनांक 16.10.2019 जिससे राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन)(चतुर्थ संशोधन) नियम, 2019 अंग्रेजी भाषा में जारी किये गये थे, का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

राज्यपाल के आदेश से
उज्जवल राठौड,
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

अधिसूचना

जयपुर, 16 अक्टूबर, 2019

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं.18) की धारा 337 के साथ पठित धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994, को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .–** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये ऐसी तारीख से प्रवृत्त होंगे जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. **नियम 78 का प्रतिस्थापन .–** राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के विद्यमान नियम 78 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"78. अध्यक्ष का निर्वाचन :– (1) नगरपालिका के अध्यक्ष का पद, नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गये व्यक्ति द्वारा भरा जायेगा।

स्पष्टीकरण : "निर्वाचित सदस्य" से नगरपालिका के किसी वार्ड से निर्वाचित कोई सदस्य अभिप्रेत है।

(2) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के लिए या इस पद को धारण करने के लिए तब ही पात्र होगा यदि वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नगरपालिका के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अर्हित हो और निरर्हित न हो।

(3) कोई निर्वाचित सदस्य भी अध्यक्ष के रूप में चुने जाने या उसका पद धारण करने का पात्र होगा।

(4) उप–नियम (2) और (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में चुने जाने या उसका पद धारण करने का पात्र नहीं होगा, यदि वह संसद या राज्य विधानसभा का सदस्य हो या वह किसी पंचायती राज संस्था का अध्यक्ष या सदस्य हो।

(5) कोई व्यक्ति या, यथास्थिति, निर्वाचित सदस्य अध्यक्ष के पद को भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि,–

(क) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछडे वर्गों के लिए आरक्षित अध्यक्ष के पद की दशा में ऐसा व्यक्ति इन जातियों या जनजातियों या, यथास्थिति, वर्गों का सदस्य न हो;

(ख) महिला के लिए आरक्षित अध्यक्ष के पद की दशा में ऐसा व्यक्ति स्त्री लिंग से संबंधित न हो ; और

(ग) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछडे वर्गों से संबंधित महिला के लिए आरक्षित अध्यक्ष के पद की दशा में ऐसा व्यक्ति इनमें से किन्ही जातियों या जनजातियों या, यथास्थिति, वर्गों और स्त्री लिंग से संबंधित न हो।

(6) नियम 10 से 23, 56, 71 से 75, 86, 87 और 88 के उपबंध निम्नलिखित उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए, अध्यक्ष के निर्वाचन पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे :–

(i) कि महापौर के पद के लिए नामनिर्देशन–पत्र तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि यह साधारण अभ्यर्थी के मामले में 30,000रु. और महिला अभ्यर्थी और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में 15,000रु. के प्रतिभूति निक्षेप की रसीद के साथ न हो;

(ii) कि सभापति के पद के लिए नामनिर्देशन–पत्र तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि यह साधारण अभ्यर्थी के मामले में 20,000रु. और महिला अभ्यर्थी और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में '10,000रु. के प्रतिभूति निक्षेप की रसीद के साथ न हो;

(iii) कि अध्यक्ष के पद के लिए नामनिर्देशन–पत्र तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि साधारण अभ्यर्थी के मामले में 10,000रु. और महिला अभ्यर्थी और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में 5,000रु. के प्रतिभूति निक्षेप की रसीद के साथ न हो;

(iv) कि अध्यक्ष के पद के निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी तब तक सम्यक् रूप से नामांकित नहीं समझा जायेगा जब तक कि नामांकन पत्र किसी निर्वाचित सदस्य द्वारा प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षरित न हो;

(v) नामनिर्देशन–पत्रों को भरने की अंतिम तारीख, निर्वाचित सदस्यों के परिणाम की घोषणा के अगले दिन होगी, यदि उस दिन सार्वजनिक अवकाश हो तो उससे पश्चात्वर्ती दिन होगी, जिस दिन सार्वजनिक अवकाश न हो;

(vi) नामनिर्देशन–पत्रों की जाँच के लिए तारीख, नामनिर्देशन–पत्रों के भरने की अंतिम तारीख से अगले दिन होगी या यदि उस दिन सार्वजनिक अवकाश हो तो उससे पश्चात्वर्ती दिन होगी, जिस दिन सार्वजनिक अवकाश न हो;

(vii) अभ्यर्थिता वापिस लेने की तारीख, नामनिर्देशन–पत्रों की जाँच की तारीख से अगले दिन होगी या यदि उस दिन सार्वजनिक अवकाश हो तो उससे अगले दिन होगी, जिस दिन अवकाश न हो;

(viii) अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए नियत समय की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को प्रतीक आवंटित कर दिये जायेंगे;

(ix) मतपत्रों के डिजाइन और प्ररूप, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायेंगे। मतपत्रों पर विशिष्टियां हिन्दी में देवनागरी लिपि में होंगी;

(x) नगरपालिका के कार्यालय में आयोजित निर्वाचित सदस्यों की बैठक में यदि आवश्यक हो तो अभ्यार्थिता वापस लेने के तीसरे दिन या अपवादिक परिस्थितियों में किसी पश्चातवर्ती दिन, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियत किया जाये, मतदान करवाया जायेगा। मतदान समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् मतों की गणना की जायेगी और परिणाम की घोषणा की जायेगी;

(xi) रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचित सदस्यों की बैठक का नोटिस उसमें निम्नलिखित का कथन करते हुए, अभ्यर्थिता वापस लेने का नियत समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात्, नगरपालिका के नोटिस बोर्ड पर चिपकायेगा,–

(क) मतदान का समय 10 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक;

(ख) मतों की गणना मतदान पूरा होने के तुरन्त पश्चात् की जाएगी; और

(ग) प्रत्येक निर्वाचन लडने वाला अभ्यर्थी चाहे वह निर्वाचित सदस्य है या नहीं बैठक में उपस्थित होकर मतदान की प्रक्रिया और मतों की गणना देखने का हकदार होगा। तथापि, केवल निर्वाचित सदस्य ही बैठक में मतदान का हकदार होगा।

(xii) रिटर्निंग अधिकारी, यदि आवश्यक हो तो, मतदान के लिए समय बढा सकेगा या पद धारण करने वाले सभी निर्वाचित सदस्यों द्वारा मत डाल दिये जाने की दशा में मतदान को उससे पूर्वतर अंतिम रूप से समाप्त हुआ घोषित कर सकेगा ;

(xiii) कोई व्यक्ति या निर्वाचित व्यक्ति किसी नगरपालिका के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के पश्चात्, नियम 69 के अधीन विहित प्ररूप में कलक्टर या उसके नाम निर्देशिती के समक्ष शपथ लेने के पश्चात् अपना पद धारण करेगा ;

(xiv) प्ररूप 1, प्ररूप 2, प्ररूप 3, प्ररूप 4, प्ररूप 5, प्ररूप 6, प्ररूप 7, प्ररूप 8, प्ररूप 22 क और प्ररूप 23 के प्रति निर्देश को क्रमशः प्ररूप 1 क, प्ररूप 2 क, प्ररूप 3 क, प्ररूप 4 क, प्ररूप 5 क, प्ररूप 6 क, प्ररूप 7 क, प्ररूप 8 क, प्ररूप 22 क क और प्ररूप 23 क, के प्रति निर्देश को सम्मिलित करते हुए अर्थान्वित किया जायेगा;

(xv) अनुसूची टप के प्रति निर्देश को प्ररूप 22 क–1 के प्रति निर्देश को सम्मिलित करते हुए अर्थान्वित किया जायेगा।"

3. नियम 79 का संशोधन . – उक्त नियमों के नियम 79 के उप–नियम (2) में,–

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "अध्यक्ष और निर्वाचित सदस्यों " के स्थान पर अभिव्यक्ति "अध्यक्ष" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "इसके सदस्यों" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अध्यक्ष" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. नियम 80 का संशोधन .– उक्त नियमों के नियम 80 में विद्यमान अभिव्यक्ति "सदस्यों के निर्वाचन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अध्यक्ष के निर्वाचन" प्रस्थिापित की जायेगी।

5. नियम 96 का संशोधन .– उक्त नियमों के नियम 96 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "उपाध्यक्ष" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अध्यक्ष" प्रतिस्थापित की जायेगी।

6. अनुसूची VIII का संशोधन .– उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची टप्प् में, विद्यमान अभिव्यक्ति "उपाध्यक्ष" जहां कहीं आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभापति/उप–सभापति/महापौर/उप–महापौर" प्रतिस्थापित की जायेगी।

7. प्ररूप 1क का संशोधन .– उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप 1क के पैरा (2) की मद (ग) में विद्यमान अभिव्यक्ति "अंतिम तारीख" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तारीख" प्रतिस्थापित की जायेगी।

8. प्ररूप 2क का संशोधन .– उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप 2क के पैरा (7) में विद्यमान अभिव्यक्ति "के बीच में" के पश्चात् और अभिव्यक्ति "किया जायेगा।" के पूर्व, अभिव्यक्ति "नगरपालिका में आयोजित की जाने वाली निर्वाचित सदस्यों की बैठक में" अंतःस्थापित की जायेगी ।"

9. प्ररूप 3क का प्रतिस्थापन .– उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप 3क के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"प्ररूप 3 क

(नियम 78 देखिए)

नामनिर्देशन पत्र

..... 'नगर निगम/परिषद/पालिक बोर्ड के अध्यक्ष के पद के लिए निर्वाचन

भाग–I

1. मैं, निर्वाचित सदस्य, ...'नगर निगम/परिषद्/पालिक बोर्ड के अध्यक्ष के पद के निर्वाचन के लिए ..... को अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट करता हूं।
2. अभ्यर्थी का नाम.....
3. पिता /माता/पति का नाम.....
   लिंग..... आयु.....
4. डाक का पता.....
5. इनका नाम, नगरपालिका के वार्ड संख्या..... की निर्वाचक नामावली के भाग सं..... ..... में क्र. सं..... पर प्रविष्ट है।
6. मेरा नाम ..... है, और मैं नगरपालिका के वार्ड संख्या..... से निर्वाचित सदस्य हूं।

तारीख...../...../.....

(प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

भाग–II

मैं, ऊपर नामित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन को सहमति प्रदान करता हूं और इसके द्वारा घोषणा करता हूं :–

(क) कि मैंने.....वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है;

(ख) कि मुझे इस निर्वाचन में ..... दल द्वारा खड़ा किया गया है;

या

(ग) कि जो प्रतीक मैने चुने हैं वे ये हैं :–

(प).....

(पप).....

(पपप).....

(घ) कि मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर हिन्दी में देवनागरी लिपि में सही वर्तनी में लिखा गया है और मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरा नाम इसी रूप में मतपत्र पर प्रविष्ट कर दिया जाये।

(ङ) कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं, नगरपालिका के लिए निर्वाचित होने के लिए अर्हित हूं और निरर्हित भी नहीं हूं।

2. मै, यह और घोषणा करता हूं कि मैं.....जाति/जनजाति/वर्ग का सदस्य हूं, जो राजस्थान राज्य में एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग है। मैं इसके साथ .... द्वारा ...../...../..... को जारी किये गये जाति/जनजाति/वर्ग प्रमाणपत्र की अधिप्रमाणित प्रति संलग्न कर रहा हूं।

3. मै यह भी घोषणा करता हूं कि मैं संसद का सदस्य या राज्य विधानसभा का सदस्य या किसी पंचायती राज संस्था का सदस्य या अध्यक्ष नहीं हूं।

तारीख...../...../.....

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

भाग–III

(रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भरा जाये)

1. नामनिर्देशन–पत्र का क्रम संख्यांक.....है।

2. यह नामनिर्देशन मुझे मेरे कार्यालय पर.....बजे.....(तारीख) को 'अभ्यर्थी/प्रस्थापक द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख...../...../.....

रिटर्निंग अधिकारी

भाग–IV

(रिटर्निंग अधिकारी का विनिश्चय)

मैंने इस नामनिर्देशन–पत्र का परीक्षण कर लिया है और निम्नलिखित रूप से विनिश्चय करता हूं ।

.....

.....

तारीख...../...../.....

रिटर्निंग अधिकारी

भाग–V

(रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भरा जाये और नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को दिया जाये)

1. नामनिर्देशन–पत्र का क्रम संख्यांक.....

2. यह नामनिर्देशन मुझे मेरे कार्यालय पर .....(तारीख) को .....बजे 'अभ्यर्थी/प्रस्थापक द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख...../...../..... रिटर्निंग अधिकारी

'जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दीजिए

10. प्ररूप 9क, प्ररूप 10क, प्ररूप 14गग, प्ररूप 17क, प्ररूप 19क, प्ररूप 20क और प्ररूप 21क, का हटाया जाना .– उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप 9क, प्ररूप 10क, प्ररूप 14गग, प्ररूप 17क, प्ररूप 19क, प्ररूप 20क और प्ररूप 21क हटाये जायेंगे।

सख्यां एफ.8(ग)( )(नियम)डीएलबी/19/33841–34298,

राज्यपाल के आदेश से

उज्ज्वल राठौड़,

निदेशक एवं संयुक्त सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।